

एक नजर

नैनीताल के जिला सूचना अधिकारी गिरिजा शंकर जोशी का आकस्मिक निधन
स्वतंत्र चेतना
हल्द्वानी। नैनीताल जिले के जिला सूचना अधिकारी गिरिजा शंकर जोशी का आकस्मिक निधन हो गया। बताया गया है कि हृदयाघात के चलते उनका निधन हुआ। उनके निधन की खबर से सूचना विभाग के साथ ही पत्रकारिता जगत में शोक की लहर दौड़ गई। गिरिजा शंकर जोशी नैनीताल जिले में जिला सूचना अधिकारी के पद पर सेवाएं दे रहे थे। सरल, सहज और मिलनसार स्वभाव के कारण वह विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ ही पत्रकारों के बीच भी लोकप्रिय थे। उनके अवानक निधन की खबर से सूचना विभाग और मीडिया जगत से जुड़े लोग स्तब्ध हैं।निधन की सूचना मिलते ही सांसद अजय भट्ट समेत अधिकारियों और पत्रकारों ने उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। सूचना विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों और पत्रकारों ने भी शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति व शोककुल परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला सूचना अधिकारी गिरिजा शंकर जोशी के आकस्मिक निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोक संतप्त परिजनों को इस अप्रार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।म्हानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने भी गिरिजा शंकर जोशी के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है।

पर्वतीय जिलों में 4202 वाहन क्षमता की पार्किंग विकसित

स्वतंत्र चेतना
देहरादून। उत्तराखंड में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में पार्किंग सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया है। आवास विभाग ने पिछले चार वर्षों में 63 पार्किंग परियोजनाओं का कार्य पूरा कर 10 पर्वतीय जिलों में कुल 4202 वाहनों की क्षमता विकसित की है। सरकार का कहना है कि इससे पर्यटन और तीर्थस्थलों पर यातायात दबाव कम करने में मदद मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पार्किंग नेटवर्क के विस्तार के तहत प्रमुख शहरों, तीर्थस्थलों और पर्यटन केंद्रों में स्थान की उपलब्धता के अनुसार सतही, बहुमंजिला और स्वचालित पार्किंग का निर्माण किया गया है। विभाग के अनुसार अल्मोड़ा में 1087, नैनीताल में 679, चंपावत में 600, उत्तरकाशी में 477, पिथौरागढ़ में 309, रुद्रप्रयाग में 304, पौड़ी में 256, चमोली में 201, टिहरी में 163 और बागेश्वर में 126 वाहनों की क्षमता विकसित की गई है। सरकार के अनुसार नैनीताल में पार्किंग की समस्या को देखते हुए मेट्रोपोल होटल परिसर क्षेत्र में नई पार्किंग का निर्माण कराया जा रहा है। इसके पूरा होने पर करीब 700 वाहन पार्क किए जा सकेंगे। इसी तरह नैनीताल जिले के प्रसिद्ध कैदी घाम में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। इसमें एक समय में 500 से अधिक वाहन खड़े किए जा सकेंगे। आवास एवं राज्य संपत्ति विभाग के सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में प्रदेश में पार्किंग सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दी गई है। 63 परियोजनाओं का कार्य पूरा होने से पर्वतीय जिलों में पार्किंग की समस्या काफी हद तक कम हुई है और इससे पर्यटकों, श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय नागरिकों को भी राहत मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड देश-दुनिया के पर्यटकों और श्रद्धालुओं का प्रमुख गंतव्य बन रहा है। पिछले वर्ष छह करोड़ से अधिक लोग प्रदेश पहुंचे। इसे देखते हुए सरकार यात्री सुविधाओं के विस्तार पर लगातार काम कर रही है। प्रमुख पर्यटन स्थलों और वारधाम यात्रा मार्गों पर जाग की समस्या से निपटने के लिए पार्किंग सुविधाओं के विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

कांग्रेस ने आरोप पत्र प्रथम में मुख्यमंत्री पर लगाए सरकारी भूमि घोटाले के आरोप

स्वतंत्र चेतना
देहरादून। कांग्रेस ने उत्तराखंड में सरकारी भूमि के निस्तारण और निवेश के नाम पर निजी संस्थाओं को जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए इसकी विस्तृत जांच की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए।
कहा कि धामी जमीन की खरीद-फरोख्त कर राज्य को गंभीर संकट की ओर धकेले रहे हैं। सरक-ारी भूमि को खुदहई कर आने पौने दामों में बेचा जा रहा हैं। आज राजपुर रोड स्थित एक होटल में कांग्रेस ने मीडिया से बातचीत में प्रदेश में चल रहे भूमि घोटाले में सरकार की सलिया को सामने रखा।कांग्रेस ने आरोप पत्र प्रथम तैयार किया है और इस पहले आरोप पत्र में धामी सरक-

ार पर भू घोटाले की आरोप लगाए। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि पार्टी की चार सदस्यीय समिति ने विभिन्न मामलों से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल की है और आगे कई मामलों को तथ्यों के साथ जनात के सामने रखा जाएगा। माहरा ने युआईआईडीबी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकारी भूमि के बड़े पैमाने पर निस्तारण की प्रक्रिया में बोर्ड को अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 12.50 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि किसी संस्था को दिए जाने अथवा उसकी बोली लगाए जाने की स्थिति में सामान्य तौर पर मामला मंत्रिमंडल के समक्ष जाना चाहिए, लेकिन युआईआईडीबी को निर्णय लेने के लिए अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं। उन्होंने प्रस्तावित भूमि नीति पर भी सवाल

उठाते हुए कहा कि कई मामलों में 90 वर्ष की लीज का प्रावधान है। उनके अनुसार, लीजधारक को बाद में भूमि फ्रीहोल्ड कराने का विकल्प मिलने की स्थिति में सरकारी संपत्ति के दीर्घकालिक अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने भुगतान की शर्तों पर भी सवाल उठाए।
उन्होंने दावा किया कि सफल बोलीदाता को शुरुआती तौर पर 25 प्रतिशत राशि जमा करनी है, कथित शेष 75 प्रतिशत राशि अगले दस वर्षों में जमा करने की सुविधा है। माहरा ने कहा कि ऐसी व्यवस्था से बड़े निवेशकों को सरकारी भूमि का इस्तेमाल कर व्यावसायिक लाभ कमाने का अवसर मिल सकता है। उन्होंने भूमि आवंटन की पात्रता शर्तों को भी स्थानीय उद्यमियों के प्रतिकूल बताया। माहरा के अनुसार, प्रस्तावित प्रक्रिया में करीब 60 करोड़ रुपये की

नेटवर्थ, पिछले तीन वर्षों में कम से कम 500 करोड़ रुपये का कारोबार, 25 से अधिक देशों में उपस्थिति और होटल परियोजनाओं के लिए एक हजार कमरों के संचालन का अनुभव जैसी शर्तें रखी गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे स्थानीय छोटे उद्यमियों के बजाय बड़े और बाहरी कारोबारी समूहों को लाभ पहुंच सकता है।

माहरा ने सहसपुर में औद्योगिक भूमि के आवंटन का मामला उठाते हुए आरोप लगाया कि करीब 325 बीघा भूमि स्थानीय उद्यमियों को उपलब्ध कराने के बजाय एक शिक्षण संस्थान को दी गई।

उन्होंने भूमि के बाजार मूल्य और आवंटन दर में अंतर का दावा करते हुए सरकार को संभावित राजस्व नुकसान की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि का

अविरल-निर्मल गंगा के लिए जनभागीदारी जरूरी : डॉ. शैलेन्द्र

जलस्रोत बचेंगे, तभी नदियां और पर्यावरण सुरक्षित रहेंगे : राम सिंह कैड़ा, छोटी धाराओं और जलस्रोतों के संरक्षण पर जोर : रामाशीष

स्वतंत्र चेतना
देहरादून। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रांत प्रचारक डॉ. शैलेन्द्र ने कहा कि जल संरक्षण केवल सरकारी योजनाओं का विषय नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। अविरल-निर्मल गंगा के लिए सरकार के साथ-साथ समाज, स्वयंसेवी संस्थाओं और धार्मिक संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी बेहद जरूरी है। यदि जल उपलब्ध नहीं रहेगा तो जीवन की सुरक्षित नहीं रह सकता, जिसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जल प्रहरी की भूमिका निभानी होगी।
शनिवार को आईएम ब्लड बैंक के सभागार में गंगा समग्र देहरादून की ओर से आयोजित जल संगोष्ठी को बतौर मुख्य वक्ता संबोधित करते हुए डॉ. शैलेन्द्र ने यह बातें कहीं। उन्होंने कहा कि देहरादून में पिछले वर्ष अथी आपदा ने प्राकृतिक धाराओं के क्षेत्रों में हुए निर्माण की गंभीरता को सामने रखा। कई स्थानों पर नदी के प्रवाह क्षेत्र तक होटल, मकान और अन्य निर्माण हो गए हैं। प्राकृतिक धाराओं को बाधित कर उन्हें नाले और नालियों में बदलने की प्रवृत्ति पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण और वर्षाजल संचयन की योजनाएं केवल कामगोड़ तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। वर्षाजल को जमीन में पहुंचाने की व्यवस्था के सकारात्मक



परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने जल के विवेकपूर्ण उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि पीने योग्य पानी का इस्तेमाल मुख्य रूप से पेयजल के लिए हो, जबकि अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाले पानी का उपयोग स्नान, कपड़े धोने, सफाई और सिंचाई जैसे कार्यों में किया जा सकता है। डॉ. शैलेन्द्र ने प्लास्टिक प्रदूषण को भी बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि तीर्थस्थलों और धार्मिक यात्राओं में प्लास्टिक बोतलों और अन्य कचरे की बढ़ती मात्रा चिंता का विषय है। केवल सफाई अभियान चलाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रदूषणकारी वस्तुओं को धार्मिक स्थलों तक पहुंचने से रोकना होगा। उन्होंने संतो, धमावावों और धार्मिक संस्थाओं से पर्यावरण संरक्षण के लिए समाज को जागरूक करने का आह्वान किया। पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री राम सिंह कैड़ा ने बतौर मुख्य अतिथि कहा कि जल संरक्षण की शुरुआत घर और गांव से होनी चाहिए। जलस्रोतों की सुरक्षा, नदियों की स्वच्छता, बेहतर कचरा प्रबंधन

बनती हैं, इसलिए गंगा को बचाने के लिए पूरे जलतंत्र का संरक्षण जरूरी है। गंगा को केवल हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज या वाराणसी तक सीमित दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि गृहस्थियों में बदलाव, वर्ग के स्वरूप में परिवर्तन और भूजल के अत्यधिक दोहन से प्राकृतिक जलचक्र प्रभावित हो रहा है। ऐसे में छोटी धार-ाओं, जलस्रोतों और नदी के जलप्रदम क्षेत्रों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने नियोजित विकास और विकृत श्रद्धा को भी नदी संरक्षण के सामने चुनौती बताते हुए धार्मिक आस्था को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की जरूरत बताई।

रामाशीष ने कहा कि सरकार की ओर से गंगा की स्वच्छता और सीवेज प्रबंधन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इन प्रयासों का स्थायी सफलता नहीं मिलेगी जब समाजी भी सक्रिय भागीदारी करे। नदी किनारे अतिक्रमण रोकने, हरित क्षेत्र विकसित करने, प्लास्टिक के उचित निस्तारण तथा सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट को नदियों में जाने से रोकने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. डी.डी. चौधरी ने कहा कि मैदान हो या पहाड़, हर जगह मिलकर प्रकृति का संरक्षण करना होगा।

देहरादून महानगर @चेतना

हरिद्वार, रविवार 13 सितम्बर 2026

उत्तराखंड में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलेगा

कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों के साथ बैठक में दिए निर्देश



महाराज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेवा संकल्प अभियान के तहत पीएम मोदी की जनसेवा की यात्रा और सेवा-विकास के कामों को जन-जन तक पहुंचाने और युवाओं को सेवा कार्यों में जोड़ने का प्रयास करना चाहिए ताकि अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं के लाभ और उसकी जानकारी पहुंच सके। उन्होंने कहा कि सभी विभाग रकदान शि-विर, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण,

हरीश रावत ने कांग्रेस के दो पदों से हटने की घोषणा की

स्वतंत्र चेतना
देहरादून। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने अपने पूर्व ओएसडी के खिलाफ कथित नकदी और आभूषण बरामदगी से जुड़ी खबरों के बीच उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी के सदस्य और कांग्रेस कार्यसमिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य पद से हटने की घोषणा की है।
हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर जारी पोस्टर में कहा कि टीवी पर देहरादून में उनके पीए के पास भारी मात्रा में नकदी और आभूषण बरामद होने की खबर सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि मामले के वास्तविक तथ्यों का खुलासा आने वाले समय में होगा। उन्होंने कहा कि संबंधित व्यक्ति जीना उनके ओएसडी रहे हैं और उन्होंने उनके विभिन्न पदों पर रहते हुए महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संपाली हैं। उन्होंने कहा कि जीना उनके अनुसार सज्जन, विनम्र और काम करने वाले व्यक्ति रहे

हैं। हालांकि, यदि द्वारा सेवकों की भर्ती में ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ अथवा इस तरह की कोई गलती किए जाने के प्रमाण सामने आते हैं तो वह ऐसे कृत्य के लिए लज्जित होंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल उन्हें इस आरोप पर विश्वास नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के आगामी चुनाव में काफी कुछ दांव पर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं और ऐसे समय में उनके किसी कृत्य से पार्टी के संघर्ष को कोई कमजोरी नहीं आनी चाहिए। रावत ने कहा कि वह किसी सरकार की पद पर नहीं हैं, इसलिए उससे त्यागपत्र देने का सवाल नहीं है। उन्होंने कहा, हमें उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी का सदस्य हूँ और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस कार्यसमिति का स्थायी आमंत्रित सदस्य हूँ।हन्होंने कहा कि पार्टी के संघर्ष में उनकी वजह से कोई कमजोरी न आए, इसलिए वह इन दोनों पदों से हटना चाहते हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जुड़े विवाद का उल्लेख करते हुए हरीश रावत ने कहा कि आयोग का

गठन राज्य के युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर किया गया था। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में लोक सेवा आयोग को समय पर परीक्षाएं कराने के लिए बाध्य किया गया और विभिन्न क्षेत्रों में भर्ती बोंडों का गठन किया गया।o उन्होंने दावा किया कि उनके करीब तीन वर्ष के कार्यकाल में 42 हजार से अधिक सरकारी पदों पर भर्तियां हुईं। उन्होंने कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति उनके पिछले सेवा रिकॉर्ड के आधार पर की गई थी और शिकायत मिलने के बाद उन्होंने संबंधित व्यक्ति को पद से हटाया अथवा उनसे इस्तीफा मांगा था। हरीश रावत ने कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा भविष्य में किस तरह का आवरण किया जाएगा, इसका अनुमान पहले से नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने कहा कि यदि नियुक्तियां अथवा परीक्षाओं की प्रक्रिया के दौरान उनसे कोई झूझर ऑफ जजमेंट्स हुआ है तो वह उत्तराखंड के लोगों से इसके लिए क्षमा मांगते हैं। उन्होंने कहा कि नियुक्तियों और परीक्षाओं में गड़बड़ी राज्य की आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़

है। यदि उनसे जाने-अनजाने में ऐसा कोई कृत्य हुआ है, जिससे राज्य के युवाओं के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तो वह स्वयं को इसके लिए दंड का पात्र मानते हैं। रावत ने सार्वजनिक अपील करते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति के पास नियुक्तियों के मामलों में उनकी सलियता या हस्तक्षेप के कोई प्रमाण हैं तो उन्हें सीबीआई, ईडी अथवा राज्य पुलिस को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि उनसे कोई चूक हुई है तो कानून के अनुसार उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। उन्होंने अपने बयान में पूर्व मुख्यमंत्री भूपर जनरल भुवन चंद खंडूरी की भूमिका खिलवाड़ और कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में उन्हें खंडूरी से सलाह मिली थी। रावत ने कहा कि उन्होंने संबंधित व्यक्ति की नियुक्ति उनके पूर्व सेवा रिकॉर्ड के आधार पर की थी। हरीश रावत ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण दायित्व संभालने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्षता से बचना चाहिए और नियुक्तियों एवं परीक्षाओं की पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए।

ईडी कार्रवाई पर सवाल उठाने से पहले कांग्रेस अपने शासन का हिसाब दे : उनियाल

कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल राजनीतिक लाभ की मंशा : चमोली

स्वतंत्र चेतना
देहरादून। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने भर्ती अनियमितताओं और ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाने के बजाय कांग्रेस को अपने शासनकाल में हुई कथित अनियमितताओं की जाबजदेही देनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और प्रदेश प्रवक्ता एवं धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने अलग-अलग बयानों में कांग्रेस पर निशाना साधा।

मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि वर्ष 2016 में भर्ती समेत विभिन्न मामलों को लेकर गंभीर सवाल उठे थे। उन्होंने कहा कि उस दौर से जुड़े मामलों की जांच आगे बढ़ रही है तो कांग्रेस को इसे राजनीतिक प्रतिशोध

बताने के बजाय अपने शासनकाल की कार्यशैली पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने सिडकुल, यूबीटीईआर, आयुर्वेद विश्वविद्यालय, दरोगा और पटवारी भर्ती समेत विभिन्न मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि भर्ती में अनियमितता का सीधा असर मेहनत और प्रतिभा के आधार पर नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने नकल और पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लागू किया है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। चमोली ने कहा कि ईडी की कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल उठाने से जांच का औचित्य खत्म हो जाता। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जांच आगे बढ़ने पर राजनीतिक लाभ लेने की

कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और भर्ती अनियमितताओं के मामलों में कार्रवाई चुनावी समय देखकर नहीं रोकी जानी चाहिए। चमोली ने कहा कि धामी सरकार के कार्यकाल में नकल विरोधी कानून के तहत नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई है और बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी अनियमितता में शामिल अधिकारियों को संरक्षण नहीं दिया जाएगा। भाजपा प्रवक्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की ओर से इस्तीफे की पे-शकश को भी राजनीतिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाने के बजाय भर्ती मामलों में कानून को अपना काम करने देना चाहिए।

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड				ई-नीलामी बिक्री सूचना						
पंजीकृत कार्यालय: छोटी मंजिल, लोहेगांव, पुणे, महाराष्ट्र 411014				सरकारी प्लॉट के तहत सुरक्षित अचल संपत्ति की बिक्री						
ब्रांच ऑफ यूनिट: साई कृपा, पल्ली मंजिल, 59/3, राजपुरा रोड, देहरादून, उत्तराखंड 248001										
सिखोई/रिजर्वेशन एवं रिकंस्ट्रक्शन और प्रांदाश्रयित पर्यटन एवं एनकोर्मेंट ऑफ सिखोई/टी इन्टरेस्ट एक्ट, 2002 (जिसे आगे "एक्ट" कहा जाएगा) और "सिखोई/टी इन्टरेस्ट (एनकोर्मेंट)" रूल्स, 2002* के नियम 8 और 9 के तहत अचल संपत्ति की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।										
आम जनता और विशेष रूप से अवाकफी/सह-अवाकफी/गिरवी रखने वाले/गारंटर को सूचित किया जाता है कि नीचे बताई गई अचल संपत्तियां "ग्रिहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड" (जिसे एक्ट के अनुसार "सिखोई कोर्टिडर" कहा जाएगा) के पास गिरवी रखी गई थीं। एक्ट की धारा 13(2) के तहत नॉटिस के बाद, एक्ट की धारा 13(12) और सिखोई/टी इन्टरेस्ट (एनकोर्मेंट) रूल्स के नियम 8 और 9 से मिली शर्तोंका जो इस्तेमाल करके हुए, सिखोई कोर्टिडर के अधिनियम अधिनियम के अंतर्गत का कानून ले लिया है। सिखोई/ई एक्ट्स (गिरवी रखी संपत्तियों) को 30-09-2026 को ई-नीलामी के जरिए "जैसा है, जहां है" (As is where is), "जैसा है, वहां है" (As is what is) और "जो कुछ भी है" (Whatever there is) के आधार पर बेवें जाएगा। आम जनता को सूचित किया जाता है कि हम https://www.bankauctions.com वेबसाइट पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म में माध्यम से नीलामी आयोजित करने जा रहे हैं।										
बिक्री की विस्तृत शर्तों (T&Cs) के लिए, कृपया GHFL/सिखोई कोर्टिडर की वेबसाइट www.grihumbanking.com पर दिए गए लिंक को देखें।										
प्रस्तावित संपत्ति का संख्या (A)	मॉडल सूचना की विधि और कवरेज राशि (B)	कमरे की संख्या (C)	संपत्ति का विवरण {D}	आवृत्ति न्यून (E)	ईएमपी (आवृत्ति का 10%) (F)	ईएमपी की संख्या और कीमत (G)	गुडविल बीलौ (H)	संपत्ति निरीक्षण विधि और समय (I)	नीलामी की तिथि और समय (J)	हाल पता/व्यावसायिक क्षेत्र, प्लॉट नंबर (K)
ब्रान सं. HF003742H00100 306 रामोश्वर लक्ष्मी (उपकर लेने वाला) सोमेश लक्ष्मी (सौ. और उपकर लेने वाला)	नोटिस की तारीख: 09-10-2025 कुल बकाया राशि: रु. 19,73,429/- (उनसठ लाख शिष्टार हजार चार बी अठ्ठाई रुपये मात्र) को 09-10-2025 तक देव है, साथ ही भूगुप्त होने तक 9.55% सालाना की दर से ब्याज भी देना है।		भौतिक खाना नंबर 833 (फसली वर्ष 1420 से 1425) और खसरा नंबर 68 भूमि वाली संपत्ति का वह हिस्सा, जिसका कुल क्षेत्रफल 92 वर्ग मीटर है और जिससे से 83.64 वर्ग मीटर क्षेत्र दंगा हुआ (कवर्ड एरिया) है। यह संपत्ति मौज प्रयागवाला, परगना परसावत, तहसील कूकेश्वर, जिला देहरादून, उत्तराखंड में स्थित है। इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व में श्री अमित भट्ट की जमीन (लंबाई 21 फीट), पश्चिम में श्री भीमवीर सिंह चौहान की संपत्ति (लंबाई 62 फीट), उत्तर में 15 फीट चौड़ी सड़क (लंबाई 10 फीट), और दक्षिण में दूसरी की जमीन (लंबाई 33 फीट)।	रु. 21,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र)	रु. 2,15,000/- (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र)	29-09-2026 शाम 5 बजे से पहले	10,000/-	24-09-2026 (सुबह 11 बजे शाम 4 बजे)	30-09-2026 (सुबह 11 बजे दोपहर 2 बजे)	शून्य
कोर संबर LAP003742H00000 0005544728 तामना चंद, उमर अकरूफ (उपकर लेने वाला) रवीना, श्री शहाबुल (सह-उपकरकर्ता)	नोटिस की तारीख: 09-10-2025 कुल बकाया राशि: रु. 9,20,366/- (नौ लाख बीस हजार तीन सौ शियादह रुपये मात्र) को 09-10-2025 तक देव, साथ ही वस्तुओं होने तक 17.85% सालाना की दर से ब्याज।		भौतिक एक टुकड़ा/प्लॉट का वह हिस्सा जिसका खाना नंबर 294 (फसली वर्ष 1424 से 1429) और खसरा नंबर 3288 Gashin है और जिसका कुल क्षेत्रफल 23.23 वर्ग मीटर है (जिसमें टुकड़ा का कवर्ड एरिया 13.94 वर्ग मीटर है), जो मौजा-शंकरपुर, हकमतपुर, परगना परसावत, तहसील किकामरगन, जिला देहरादून, उत्तराखंड में स्थित है, उसकी सीमाएं इस प्रकार हैं - पूर्व - 20 फीट चौड़ी सड़क, लंबाई 10 फीट पश्चिम - चिडिया की जमीन, लंबाई 10 फीट उत्तर - अक्षय मलिक की जमीन, लंबाई 25 फीट दक्षिण - मो. परसावत की जमीन, लंबाई 25 फीट।	रु. 9,24,000/- (नौ लाख चौबीस हजार रुपये मात्र)	रु. 92,400/- (एक लाख बावत्तर चार सौ मात्र)	29-09-2026 शाम 5 बजे से पहले	10,000/-	24-09-2026 (सुबह 11 बजे शाम 4 बजे)	30-09-2026 (सुबह 11 बजे दोपहर 2 बजे)	शून्य
ब्रान सं. HLU0173100000 0005061341 पप्पू चौकी मेहर सिंह (उपकर लेने वाला) सोमेश लक्ष्मी (सौ. और उपकर लेने वाला)	नोटिस की तारीख: 09-10-2026 कुल बकाया राशि: रु. 2,09,967/- (दो लाख नौ हजार बी बी सत्तरह रुपये मात्र) को 09-10-2026 तक देव, साथ ही भूगुप्त होने तक 12.99% सालाना की दर से ब्याज।		भौतिक प्लॉट नंबर 312 का वह हिस्सा टुकड़ा और पार्सल, तीसरा वर्ण, जिसका कुल कानून क्षेत्रफल 23.04 वर्ग मीटर, प्रोसेडर में नाम और स्वामता का "ओएस आवास विकास अकांकी हेमलपुर" खसरा नंबर 1840, 1841 और 1842 से संबंधित, ग्राम आनेकी हेमलपुर, तहसील और जिला देहरादून, उत्तराखंड में स्थित है।	रु. 28,975/- (दो लाख बीस हजार बी बी सत्तरह रुपये मात्र)	रु. 28,297.50 (अक्षय बीस हजार बी बी सत्तरह रुपये मात्र)	29-09-2026 शाम 5 बजे से पहले	10,000/-	24-09-2026 (सुबह 11 बजे दोपहर 2 बजे)	30-09-2026 (सुबह 11 बजे दोपहर 2 बजे)	शून्य

बोली लगाने वाले/खरीददारों को सूचना दी जाती है कि वे बोली उम्मा करने से पहले संपत्ति का निरीक्षण हाइब्रिड और सीलामी नीलामी प्रोसेडर का दौरा करेंगे, खुद बना-पहलान कर और अनिवार्य रूप से, देनमूराली (encumbrances) और उनका गिरवी तिरोपड़ एवं अधिकांशों को वे पता करके पूरी तरह सतुह होंगे। नीलामी से जुड़े सभी कानूनी बकाया, जैसे प्राप्ति/टी टैक्स, बिल्टिंग/पानी का बिल और कोई अन्य बकाया, सफल बोली लगाने वाले को ही पता चलने होंगे और उनका भुगतान करना होगा।

इसके बोली लगाने वाले को नीलामी बोली पत्र पर **C1 India Pvt Ltd** के प्लेटफॉर पर खुद को रजिस्टर करना होगा और पहले से ही लॉगिन ID और पारसार्ड लेना होगा, जो ई-बिडिंग के लिए जरूरी होगा। प्लॉट नंबर -68, तीसरी मंजिल, मुडगांव, हरियाणा -122003। हेमलपुरा नंबर - 729। 198।112। 25, 26; संपर्क ईमेल ID -Support@bankauctions.com। संपर्क व्यक्ति - धरणी P ईमेल ID -dharani.p@c1india.com, संपर्क नंबर - 9948।182222। पृष्ठभूमि जानकारी के लिए कृपया बोली लगाने वाले को ई-नीलामी पर ऑनलाइन पत्रिका ले सकते हैं। ईसके खरीदारी/प्राप्ति के लिए **"Earnest Money Deposit" (EMD)** की लिए **NEFT /RTGS/DD** के जरिए **"GRIHUM HOUSING FINANCE LIMITED - AUCTION PROCEEDS A/C"** के खाने में जमा करनी होगी।

बैंक- **ICICI BANKS LTD** के खाता नंबर 09-1551000028 और **IFSC कोड - ICICI0000915**, **ICICI BANK LTD**, नरसिंह नगर रोड, नगापुत कले के पास, 43/44 विमान नगर 411014 (किस्ती भी राष्ट्रीयकृत या शेड्यूल बैंक से जारी)। ई-भूगुप्तता 29-09-2026 को या उससे पहले करने होगा। साक्षात् ही, उन्हें <https://www.bankauctions.com> पर अपना नाम रजिस्टर करना होगा, पसल में यूजर ID और पारसार्ड प्राप्त करना होगा और सेवा प्रदाता से भी नीलामी करने - साई कृपा नंबर, 59/3, राजपुरा रोड, देहरादून, उत्तराखंड 248001; मोबाइल नंबर +91 8281138143; ईमेल ID p.adith@grihumbanking.com नियम और शर्तों के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए और ई-ऑनलाइन में विवरण लेने के लिए पृष्ठों पर www.grihumbanking.com पर जाएं।

इस नोटिस को सिखोई/टी इन्टरेस्ट (एनकोर्मेंट) रूल्स-2002 के नियम 8(6) के तहत अवाकफी/सह-अवाकफी/गिरवी रखने वाले/गारंटर के लिए 15 दिन का नोटिस भी भेजा जाना चाहिए।

स्थान- देहरादून, हरिद्वार, उत्तराखंड तारीख- 13.09.2026

प्राधिकृत अधिकारी गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

बीलौ लगाने वाले/खरीददारों को सलाह दी जाती है कि वे बीलौ जमा करने से पहले हासिलकोई कोर्टिडर ब्रांच और नीलामी वाली प्रॉपर्टी का दौरा करें, खुद जांच-पड़ताल करें और अतिरिक्त शुल्क, दैनिकीयों (encumbrances) और किसी तीसरे पक्ष के अधिकारों के बारे में पता करके पूरी तरह संतुष्ट हो लें। प्रॉपर्टी से जुड़े सभी कानूनी कवरेज, जैसे प्रॉपर्टी टेक्स्ट, बिलौनी/पानी का बिल और कोई अन्य कवरेज, सकल बीलौ लगाने वाले को ही पता करने होंगे और उनका

इसकेक बीलौ लगाने वाले को नीलामी सूचना प्रदाता **ICI India PVT LTD** के प्लॉट पर खुद को रजिस्टर्ड करना होगा और पहले से ही सीएमए **ID** और पासवर्ड लेना होगा, जो ई-बिडिंग के लिए जरूरी है। पता: प्लॉट नंबर-68, तीसरी मंजिल, गुरुप्रसाद, हरियाणा-120031। क्लैमवॉश नंबर - 7291981124, 25, 26; साईट मेंमेंई **ID-Support@bankauctions.com**। प्लॉट्स व्यक्ति- धरणी **P** मेंमें **ID- dhariani.p@c1india.com**, साईट नंबर - 9948182222। कृपया ध्यान दें कि संपत्तियां बीलौ लगाने वाले केवल उन्हीं से हैं-नीलामी पर अतिरिक्त प्रवेश ले सकते हैं। इव्यूक खरीदार/बीलौ लगाने वाले को **Earnest Money Deposit (EMD)** की राशि **NEFT/RTGS/DD** के जरिए **"GRIHUM HOUSING FINANCE LIMITED - AUCTION PROCEEDS A/C"** के खाते में जमा करना जरूरी होगा।

बैंक- **ICICI BANK LTD**, खाना नंबर - 091551000028 और **IFSC** कोड- **ICICI000915**, **ICICI Bank Ltd**, पंचशील टेक पार्क, गंगापति चौक के पास, 43/44 विमान नंबर 411014 (किसी भी राष्ट्रीयकृत या श्रेयकृत बैंक से जारी)। यह भुगतान 29-09-2026 को या उससे पहले करना होगा। साथ ही, उन्हें <https://www.bankauctions.com> पर अपना नाम रजिस्टर करना होगा, मुक्त में खुद **30** और पासवर्ड प्राप्त करना होगा और सेवा प्रदाता से ई-नीलामी की ट्रेनिंग लेनी होगी। वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के बाद, इव्यूक खरीदार/बीलौ लगाने वाले को नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट्स की कॉपी अपलोड करनी होगी, ईमेल करनी होगी और खुद से अटेंटर की हुई कॉपी कोपी इस प्ले पर भेजनी होगी: साई कृपा, पल्ली मंजिल, 59/3, राजपुरा रोड, देहरादून, उत्तराखंड 248001; मोबाइल नंबर +91 8281138143; ईमेल P.adith@grihumbanking.com नियम और शर्तों के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए और ई-ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए कृपया <https://www.bankauctions.com> और www.grihumbanking.com पर जाएं।

इस नॉटिस को सिखोई/टी इन्टरेस्ट (एनकोर्मेंट) रूल्स-2002 के नियम 8(6) के तहत अवाकफी/सह-अवाकफी/गिरवी रखने वाले/गारंटर के लिए 15 दिन का नॉटिस भी माना जाना चाहिए।

स्थान:- देहरादून, हरिद्वार, उत्तराखंड तारीख:- 13.09.2026

प्राधिकृत अधिकारी गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड